मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग

निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल,

58 अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

अपील क्रमाँक ए–104 / रासूआ / 11–2 / भोपाल / 06

श्रीमती गोदावरी वरधानी, अपीलकर्ता
सहायक ग्रेड–3,
विश्वविद्यालय,रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन
केंद्र,बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय परिसर,
भोपाल,मध्यप्रदेश ।

विरूद्ध

आयुक्त, अपीलीय अधिकारी
कोष एवं लेखा, संचालनालय,
पर्यावास भवन,भोपाल, मध्यप्रदेश ।

संभागीय संयुक्त संचालक, लोक सूचना अधिकारी
कोष, लेखा एवं पेंशन,
भोपाल तथा होशंगाबाद संभाग,
भोपाल मध्यप्रदेश ।

आदेश

(दिनांक 22 जून, 2006)

यह अपील श्रीमती गोदावरी वरधानी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25.2.2006 से असंतुष्ट होकर की है । अपीलकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत निम्नानुसार जानकारी मांगी थी :–

'' 1990 के वेतनमान संशोधन नियम 8 की कण्डिका 2 में वेतनवृद्धि दिनांक परिवर्तन के नियमों की जानकारी एवं वसूली बाबत् । 1984 में नियुक्त कर्मचारियों की वेतनवृद्धि दिनांक परिवर्तन के कारण वसूली के पत्रक ।''

2. इस जानकारी में से अपीलकर्ता को 1990 वेतन संशोधन नियम 8 कण्डिका 2 में वेतनवृद्धि दिनांक परिवर्तन के नियमों की जानकारी मिल चुकी है । अपीलकर्ता को 1984 में नियुक्त कर्मचारियों की वेतनवृद्धि की दिनांक परिवर्तन के कारण वसूली के पत्रकों की जानकारी नहीं मिली है । इस जानकारी के संबंध में लोक सूचना अधिकारी का यह कहना है कि जिन कर्मचारियों के वेतन निर्धारित किए जाते हैं, उनके संबंध में

संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा कोई पत्रक नहीं बनाया जाता है । संचालक–कोष,लेखा एवं पेंशन के कार्यालय में केवल विभागों द्वारा जो निर्धारण के प्रकरण प्राप्त होते हैं, उनकी जांच करने के उपरांत अनुमोदन किया जाता है और संबंधित अभिलेख विभागों को वापस किया जाता है ।

3. इस प्रकरण में अपीलकर्ता, लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को दिनांक 20 जून 2006 को सुनवाई हेतु बुलाया गया था । अपीलकर्ता अपने वेतन निर्धारण से असंतुष्ट हैं । उनका यह कहना है कि : कुछ व्यक्तियों के वेतन निर्धारण के बाद वेतनवृद्धि की तारीख़ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन उनके वेतन निर्धारण के उपरांत परिवर्तन किया गया है जिससे उन्हें हानि उठानी पड़ रही है और उनसे वसूली की कार्यवाही आरंभ की गई है । लोक सूचना अधिकारी का यह कहना है कि उनके कार्यालय में कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के पत्रक नहीं संधारित किए जाते हैं । संबंधित विभागों से जो नस्तियां वेतन निर्धारण के लिए आती हैं, उनकी जांच एवं अनुमोदन करके नस्तियां संबंधित विभाग को वापस कर दी जाती हैं इसलिए यह जानकारी देना संभव नहीं है क्योंकि यह जानकारी संधारित नहीं की जाती है । उनका यह भी कहना है कि अपीलकर्ता के वेतन निर्धारण के प्रकरण का परीक्षण पांच बार पूर्व में किया जा चुका है । इनका वेतन निर्धारण 1990 के नियमों के अनुसार किया गया है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ।

4. इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि संचालक–कोष, लेखा एवं पेंशन के कार्यालय में जिन कर्मचारियों के वेतन निर्धारण किए जाते हैं, उनकी जानकारी नहीं रखी जाती है । यह जानकारी संबंधित विभाग की नस्तियों में रहती है और नस्तियां विभाग को वापस कर दी जाती हैं इसलिए जो जानकारी कार्यालय में नहीं संधारित की जाती है, वह किसी भी कार्यालय द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती । अतः इस अपील में कोई तथ्य नहीं है और यह निरस्त की जाती है ।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
22 जून

2006